21-6-17 वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र वही चलाने हेतु Note-Books का अंकन किया है अतः पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/6/17

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर